

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
06.08.2015 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1927.
कुडनकुलम संयंत्र के नियमित संचालन हेतु लाइसेंस

1927. श्री ए. विलियम रबि बर्नार्ड :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) ने वर्तमान में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र, इकाई-1 के नियमित संचालन हेतु लाइसेंस जारी किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या उक्त विनियामक बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि कुडनकुलम के वाटर-वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर (वीवीईआर) प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की सुरक्षा संबंधी समीक्षा से इस बात की पुष्टि हुई है कि यह उक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों और सुरक्षा संबंधी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) जी, हाँ। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट-1 (केकेएनपीपी-1) के नियमित प्रचालन के लिए 10 जुलाई, 2015 को लाइसेंस प्रदान किया, जो पाँच वर्ष (जुलाई, 2020 तक) के लिए वैध है।
- (ख) जी, हाँ। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र यूनिट-1 के संरक्षा पहलुओं, जिसमें स्थल निर्धारण, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग और विद्युत प्रचालन शामिल है, की व्यापक पुनरीक्षा की है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा की गई संरक्षा पुनरीक्षा के अंतर्गत एक बहु-चरणीय पुनरीक्षा पद्धति अपनाई गई थी, जिसे कई वर्षों से अपनाया जा रहा था। यह पुनरीक्षा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निर्धारित संरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जोकि संरक्षा संबंधी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं भी शामिल हैं। अतः, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट, और उसके साथ-साथ मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपेक्षाओं को पूरा करती है।